Result Mitra Daily Magazine

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी (परीक्षा की अखंडता को नुकसान) के आधार पर इसे रद्द किया।

हालिया सन्दर्भ -

- हाल ही में 19 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC - NET) - 2024 को रद्द करने की घोषणा की।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी (परीक्षा की अखंडता को नुकसान) के आधार पर इसे रद्द किया।
- ज्ञातव्य हो कि 18 जून 2024 को यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को गृह मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14 C) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई द्वारा आयोजित परीक्षा में कुछ गड़बड़ी होने के इनपुट मिले थे।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को जिम्मेदारी दी है।
- इसी वर्ष फरवरी महीने में पेपर लीक को रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा सख्त नया कानून पारित किया गया था, जिसके बाद से पहली बार 'आयोजित सार्वजनिक परीक्षा' को केंद्र द्वारा रद्द किया गया।
- UGC - NET एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेज में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फैलोशिप (JRF) पदों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है।
- इस परीक्षा का संचालन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA करती है।
- यह परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।
- 18 जून 2024 को आयोजित इस परीक्षा को 317 शहरों में करीब 9 लाख से अधिक उम्मीदवार ने भाग लिया था।

Result Mitra

पेपर लीक के आंकड़े -

- इस हालिया घटना से पहले पिछले 5 वर्षों में भारत में 16 राज्यों में पेपर लीक के करीब 50 से अधिक मामले सामने आए हैं।
- विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में लगभग 1.2 लाख पदों के लिए लगभग 1.5 करोड़ आवेदकों को प्रभावित किया।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2024 क्या है?

- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2024 को 17 वीं लोकसभा के दौरान 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था तथा 9 फरवरी को यह राज्यसभा से पास हो गया।
- 25 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति के सहमति के बाद यह विधेयक कानून के रूप में सामने आया।

उद्देश्य -

- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2024 का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के साथ 'अनुचित स्थान' के प्रयोग को रोकना है।
- इस अधिनियम की धारा 3 में ऐसे 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो सार्वजनिक परीक्षा में मौद्रिक या अन्य लाभ के लिए अनुचित साधन के अंतर्गत आती है।
- सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन के अंतर्गत आने वाले कार्य -
- प्रश्न पत्र का लीक
- उत्तर कुंजी में छेड़छाड़
- बिना अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) रिस्पांस सीट तक पहुंचना
- कंप्यूटर संबंधी किसी उपकरण के साथ छेड़छाड़
- फर्जी वेबसाइट का निर्माण
- उपरोक्त सभी कृत्यों को इस अधिनियम के तहत 'गैर कानूनी' करार दिया गया है।

सार्वजनिक परीक्षाओं के अंतर्गत कौन-कौन सी परीक्षाएं आती हैं?

Result Mitra

- इस विधेयक की अनुसूची में पांच सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों का उल्लेख किया गया है।

(i) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

- इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा को अधिसूचित किया गया है।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

- इसके अंतर्गत केंद्र सरकार में ग्रुप सी (गैर तकनीकी) और ग्रुप बी (गैर राजपत्रित) नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा सम्मिलित है।

(iii) रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

- इसके अंतर्गत भारतीय रेलवे की ग्रुप सी (तकनीकी और गैर तकनीकी) तथा ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है।

(iv) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS)

- इसके अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिए सभी भर्ती परीक्षाएं सम्मिलित हैं।

(v) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)

- इसके तहत आने वाले परीक्षाओं में जेईई (मेन), एनईईटी-यूजी (NEET-UG), यूजीसी-नेट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) शामिल है।
- उपरोक्त सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों के अलावा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग में कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित अधीनस्थ कार्यालय भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं।

सजा का प्रावधान -

- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2024 में उल्लेखित 'अनुचित साधन' से संबंधित व्यक्ति या परीक्षा प्राधिकरणों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम की धारा - 9 के अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्तियों या परीक्षा प्राधिकरणों के लिए सभी अपराध को संज्ञेय, गैर - जमानती और गैर - समझौता योग्य माना गया है।
- यानि इस अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों या प्राधिकरण को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है जो गैर जमानती होगा।
- इस अधिनियम की धारा 10 (1) में 'अनुचित साधनों' और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए 3 से 5 साल तक का जेल एवं 10 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है।

Result Mitra

- अगर आरोपित व्यक्ति जुर्माना देने में विफल रहा तो उसे भारतीय न्याय संहिता-2023 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी।
- इस अधिनियम की धारा 10 (2) में परीक्षा संचालन करने वाली प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग में दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानि (University Grants Commission) केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देने के साथ आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है।
- भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1948 ई में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में देश की आवश्यकताओं और उन पर सुधार कार्यों के लिए 'यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटि' की नींव रखी गई थी।
- इसी आयोग की सलाह पर वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का गठन किया गया।
- **मुख्यालय** - नई दिल्ली

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)

- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानि (National Testing Agency) शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्त संस्था है।
- इसकी स्थापना नवंबर 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा और भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए की गई थी।
- यह एजेंसी मुख्य रूप से JEE मेन, NEET-UG, CMAT, GPAT आदि परीक्षाओं का आयोजन करती है।

Result Mitra